न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 499/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– सगा पुत्र आरब खान 2– उमाना पुत्र आरब खान 3– अलीबक्स पुत्र. आरब खान 4– सुमार पुत्र वारस 5– दोसा पुत्र वारस 6– मोहीब पुत्र वारस 7– सिदीक पुत्र ईशा 8– इस्माईल पुत्र ईशा 9– शरीफ पुत्र ईशा 10–शरीफ पुत्र ईशा 11– रामतुला पुत्र ईशा 12– सायब पुत्र अली मोहम्मद 13– रहीम पुत्र गुलु 14– इमामत पुत्री बच्चा 15– मलुक पुत्र लाल मोहम्मद 16– सकील खां पुत्र चान्द खां 17– अब्दुल करीम पुत्र जाकब सभी जातियान मुसलमान निवासीगण कितनोरिया तहसील चौहटन जिला बाडमेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेडवा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2017 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 83/2017 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री एम0एल0खत्री अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 22–2–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी रेस्पो0 तहसीलदार सेडवा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र स्थाई सार्वजनिक रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद के संबंध मे पेश किया कि ग्राम अलखू फकीर बस्ती, कितनोरिया मे चालु स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी व नक्शे मे अंकन नही है । जिस पर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, बाद तामिल शरीफ, शुमार उपस्थित व अन्य अनुपस्थित रहे तथा जवाब प्रस्तुत किया गया जहां रास्ता चलता है, वहां वर्तमान मे चल रहे बारहमासी रास्ते/ग्रेवल सडक/डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–3–2017 पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सेडवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे दर्ज कर अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ते की घोषणा कर दी, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण अमाना, शरीफ व सुमार ने उपस्थित होकर उक्त रास्तो के संबंध मे आपत्ति पेश कर दी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति के निस्तारण के बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 10–8–2016 मे दिये गये निर्देशो को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि के बीच से कोई रास्ता नही चल रहा है परंतु अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट के खेत के बीचो बीच केवल पटवारी व तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को तलब कर उनको सुने बिना बनाई गई एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम किया गया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि विधि एवं न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी खातेदारी की भूमि रास्ते मे ली जाती है तो खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत तरीके से आदेश पारित किया जाना चाहिये परंतु वर्तमान मामले मे ऐसी कोई कार्यवाही किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 मे दिये गये निर्देशो के क्रम मे उनके समक्ष पटवारी हल्का कितनोरिया एवं तहसीलदार सेडवा से प्राप्त प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन एवं अध्ययन करने के बाद पक्षकारान को नोटिस जारी कर विधिवत रूप से खातेदारो की खातेदारी की भूमि मे चल रहे रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, तथा अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम अलखू फकीर बस्ती, कितनोरिया की जमाबंदियां अनुसार अपीलांटगण अपीलाधीन भूमि के रेकर्डेड खातेदार है ।

तहसीलदार सेडवा द्वारा अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि मे से चल रहे रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाने पर संबंधित खातेदारो को नोटिस जारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा इसके संबंध मे लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है तथा उक्त आपत्ति के संबंध मे अपीलाधीन निर्णय मे भी उल्लेख किया हुआ है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई कर उसका निस्तारण किये बिना ही अपीलांटगण के खातेदारी खेतो मे से रास्ता दर्ज करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–3–2017 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष एवं हितबद्ध व्यक्तियो को नोटिस जारी कर उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनकर, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22–2–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर